

समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

Phone no-06183-222336(0)
Fax no- 06183-226935(0)
E-mail- dm-buxar.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2021 को सम्पन्न चौकीदार / दफादारों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं उनके आश्रितों को चौकीदार के पद पर नियुक्ति संबंधी मामले पर विचार – विमर्श हेतु चौकीदार स्थापना समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार।

बैठक के विचारणीय विन्दु:-

गृह (आरक्षी) विभाग के अधिसूचना संख्या- 1896, दिनांक-05.03.2014, पत्रांक- 8442 दिनांक 23.10.2017, पत्रांक- 1563 दिनांक 22.02.2018 एवं पत्रांक- 5444 दिनांक- 22.06.2018 में निहित प्रावधान के अनुसार चौकीदार/दफादारों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति एवं उनके आश्रित को चौकीदार के पद पर नियुक्ति।

1. चौकीदार / दफादार के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी मामले-

सर्वप्रथम चौकीदार/दफादारों से प्राप्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विन्दू पर निर्णय लेने हेतु जिला पदाधिकारी के समक्ष रखा गया। प्राप्त आवेदन पत्र, संबंधित कागजातों एवं सेवापुस्त के अवलोकनोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :-

क्र०	चौकीदार/ दफादार का नाम एवं पता	पदस्थापित अंचल	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि / सेवानिवृत्ति की तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छित तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन पत्र की तिथि को कुल सेवा अवधि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिए गए आवेदन की तिथि को चौकीदार/ दफादार का उम्र	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति की तिथि	समिति द्वारा लिया गया निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री राधा किशुन यादव, 11/7 चौकीदार, ग्राम+पो0-बरुहों, थाना- बगेन गोला,	ब्रह्मपुर	01.01.1990	06.11.1955 / 30.11.2015	30.08.2015	दिनांक 22.05.2015 को 25 वर्ष, 04 माह, 21 दिन	दिनांक- 22.05.2015 को 59 वर्ष, 06 माह, 16 दिन	—	दिनांक- 05.12.2020 को स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार चौकीदार के सेवापुस्त एवं आश्रित पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में चौकीदार के नाम में पाई गयी भिन्नता के विन्दु पर अंचलाधिकारी, ब्रह्मपुर से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हैं। समिति द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव को श्री राधा किशुन यादव, चौकीदार के आश्रित पुत्र रमेश यादव के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में पिता के नाम में भिन्नता के विन्दु पर जाँच कर अपने मंतव्य के साथ अगली बैठक में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। (अनुपालन: अनु0पदा0, डुमराँव/ प्रभासी पदा0, जिला सामान्य शाखा, बक्सर)

2	श्री शेषनाथ सिंह, 3/9 चौकीदार ग्रा0- जलीलपुर, पो0- सोनपा, था0- राजपुर,	राजपुर	---	---	31.10.2018	---	---	---	स्वैच्छिक सेवानिवृति संबंधी वांछित कागजात अप्राप्त। स्वैच्छिक सेवानिवृति संबंधी वांछित कागजात आवेदक द्वारा प्राप्त नहीं कराने के कारण अंतिम रूप से एक माह के अन्दर कागजात उपलब्ध कराने हेतु आवेदक को नोटिश निर्गत करने एवं अंचलाधिकारी, राजपुर को भी अपने स्तर से अंतिम रूप से नोटिश निर्गत करेंगे। साथ ही आवेदक को यह सूचित करेंगे कि वांछित कागजात एक माह के अन्दर उपलब्ध नहीं करायेँगे तो उनके स्वैच्छिक सेवानिवृति के विन्दू पर विचार नहीं किया जायेगा। (अनुपालन: अंचलाधिकारी, राजपुर / प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा)
3	श्री किशुन सिंह, चौकीदार 4/3, थाना-सिकरौल, अंचल-नावानगर, जिला-बक्सर	नावानगर	01.01.1990	15.10.1958 / 31.10.2018	30.09.2018	दिनांक 19.07.2018 को 28 वर्ष, 06 माह, 18 दिन	दिनांक- 19.07.2018 को 59 वर्ष, 09 माह, 04 दिन	---	आवेदक के सेवा पुस्त में दिनांक 25.05.2006 एवं 28.05.2006 को पाये गये असत्यापित सेवा अवधि का सत्यापन हेतु अंचलाधिकारी, नावानगर को स्मारित करने का निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा चौकीदार श्री किशुन सिंह की आश्रित पुत्री किरण कुमारी का विवाह स्वैच्छिक सेवानिवृति हेतु आवेदन के पूर्व हुई थी अथवा बाद में के विन्दू पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, नावानगर एवं इटाही से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवं अंचलाधिकारी, नावानगर द्वारा किरण कुमारी को विवाहित प्रतिवेदित किया गया है जबकि अंचलाधिकारी, इटाही द्वारा किरण कुमारी को अविवाहित प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रकार आवेदक के आश्रित पुत्री के विवाहित होने न होने के संबंध में परस्पर विरोधाभाषी प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बक्सर को अंचलाधिकारी, नावानगर एवं अंचलाधिकारी, इटाही से समन्वय स्थापित कर मामले की जाँच कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश गत बैठक में दिया गया था। प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त हैं। पुनः अंचलाधिकारी, नावानगर एवं प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा, बक्सर को अगली बैठक से पूर्व प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित करने का निर्णय लिया गया। (अनुपालन: प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, बक्सर)